

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)
अपील - डिक्री

21/018

अभिभाषक वादी राजेश कुमार लोपा

धारा अंतर्गत 53,89 RTI

निर्णय दिनांक 24/9/019

अभिभाषक प्रतिवादी -

वाद शीर्षक


- 1- गोशवाई पति गोविंद माति वंजारा निवासी मानपुरा तह-इबड़ा
- 2- हीराबाई पति पप्पू माति वंजारा निवासी ग्राम भदना रेडी तह-इबड़ा
- 1- गोशवाई पति राजेश माति लोपा निवासी इबड़ा तहसील इबड़ा जिला-बारां
- 2- राजेश माति लोपा निवासी इबड़ा तहसील इबड़ा जिला-बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक तहसीलदार इबड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित भूखंडों का पक्ष द्वारा के मध्य भूखंड विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

नाम खतेशर	ख.न.	रकबा	लगान
1- गोशवाई पति गोविंद			
हीराबाई पति पप्पू माति	27	2.00	1.56
वंजारा निवासी सो. दे. इ.	कित्ता 1 रकबा 2.00		1.56
2- गोशवाई पति राजेश			
माति लोपा नि. इबड़ा तहसील	27/4	1.00	0.78
जदीद तहसील इबड़ा	कित्ता 1 रकबा 1.00		0.78

साथ ही निम्नानुसार रु. का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए उक्त आदेशों में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24/9/019 को निर्गत किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

व्ययानुतोष